5

बालिकाओं की स्कूली शिक्षा का स्थितिपरक विश्लेषण
संघर्ष और चुनौतियाँ

सविता कौशल*
हरप्रीत सेहम्बी**

भारत में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एक सफलता की कहानी रही है, जिसका मुख्य कारण दूरदराज के क्षेत्रों में नामांकन बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम और अभियान को लागू करना है। *एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट–असर* (2020) के अनुसार, भारत में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 2006 में 10.3 प्रतिशत से घटकर 2019 में 4.1 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान शोध में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाने का एक प्रयास किया गया है, जो प्रारंभिक शिक्षा को त्रुटिपूर्ण रूप से प्राप्त करने में उनके रास्ते में बड़ी बाधा है। इस शोध के आँकड़ों में प्राथमिक स्रोतों के अलावा अन्य द्वितीय स्रोतों, जैसे— सरकारी रिपोर्ट, किताबें, जर्नल शोध, सांख्यिकीय रिपोर्ट और वर्किंग पेपर का उपयोग किया गया है। इस शोध में स्कूल स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने का प्रयास किया गया है।

भारत में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार के वार्षिक आय-व्यय में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अधिक निवेश पर ज़ोर दिया जा रहा है। नीति आयोग में महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू.सी.डी.) की स्थापना की गई है। यह विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नीतिगत महिलाओं एवं बाल विकास, समग्र अस्तित्व, सुरक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने और कार्यक्रम परिपालन की निगरानी करने के लिए प्रधान विभाग है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पिछली और वर्तमान प्रमुख योजनाएँ जैसे कि, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.), साक्षर भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान इत्यादि का उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार और जागरूकता पैदा करना है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली
** *असिस्टेंट मैनेजर*, एग्ज़ीक्यूटिव एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा व्यापक प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है। यह स्पष्ट है कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा हासिल करने में कई समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं के बावजूद साक्षरता में लैंगिक आधार पर अंतर अभी भी देश में प्रचलित है। तथ्यों के अनुसार 82.14 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं, जबकि केवल 65.46 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यू.सी.डी). के अनुसार, 2018–2019 में माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की औसत दर क्रमशः 17.3 और 4.74 प्रतिशत थी। लड़कियों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाना; उनकी शिक्षा में सुधार के लिए योजनाएँ, नीतियाँ और उपाय तैयार करना; और विभिन्न योजनाओं को लागू करना बहुत आवश्यक है; ताकि शिक्षा के संदर्भ में समानता हो सके। इस शोध पत्र में भी कुछ इसी प्रकार का प्रयास किया गया है।

यूडाइज+ (यूडीआईएसइ+), 2019–2020, के अनुसार सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो—जी.ई.आर.) में शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रगति हुई है। इसके अलावा लिंग समानता सूचक (जेंडर पैरिटी इंडेक्स— जी.पी.आई.) का मान 1 से अधिक है यानी की जी.पी.आई. लड़कियों के अनुकूल है।

वर्तमान अध्ययन का संदर्भ

यह स्पष्ट है कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा हासिल करने में कई समस्याओं का हल किया गया है। वर्तमान शोध में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाने का एक प्रयास था, जो प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने में उनके रास्ते में बड़ी बाधा हैं। वर्तमान शोध में दिल्ली के पूर्वी दिल्ली ज़िले की भौगोलिक सीमा को शामिल किया गया है। अन्वेषक द्वारा आँकड़े संग्रह की प्रक्रिया कोविड-19 स्थिति से प्रभावित थी। अध्ययन के लिए आँकड़े व्हाट्सएप और टेलीफोन के माध्यम से आठ प्राथमिक विद्यालय के चौसठ शिक्षकों और अड़सठ माता-पिता और विभिन्न स्कूलों के समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के माध्यम से एकत्र किया गया था।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

भारत में लिंग एक जटिल सामाजिक और संस्थागत ढाँचे में अंतर्निहित है। यह माना गया है कि शिक्षा में लिंग समानता और लड़कियों की बुनियादी शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना तीन अतिव्यापी मुद्दों से प्रभावित है— पहला, प्रणालीगत मुद्दे; दूसरा, शिक्षा के मूल द्रव्य और प्रक्रिया; तीसरा, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। तालिका 2 में लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अवलोकन किया गया है।

तालिका 1— 2019–2020 में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जी.पी.आई. की स्थिति

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
जी.पी.आई.	1.02	1.02	0.99	1.04

(स्रोत: यूडाइज/ यूडीआईएसइ+, 2019–2020)

© NCERT not to be republished

तालिका 2— लड़कियों की शिक्षा संबंधित: मुद्दे और चिंताएँ

प्रणालीगत मुद्दे	शिक्षा के मूल द्रव्य और प्रक्रिया	अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति
स्कूल तक पहुँच पाने में समस्या	लिंग रूढ़िबद्धता	गरीबी/शक्तिहीन
स्कूलों की गुणवत्ता	पाठ्यचर्या सीखने की प्रासंगिकता	परिवार पर शिक्षा की लागत
एकाधिक वितरण प्रणाली की मौजूदगी— औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा	पुस्तक, लेख और पत्रिकाओं तक पहुँच होना	बाल श्रम/घरेलू कामों में भागीदारी और ज़िम्मेदारी
शैक्षणिक कैलेंडर और स्कूल का समय	उपयुक्त अध्ययन सामग्री	बाल विवाह
शिक्षकों में प्रेरणा	उमंग से भरा अधिगम (जॉयफुल लर्निंग)	यौवन के बाद की प्रथाएँ

स्रोत— (रामचंद्रन, 2003), 2004 बैकग्राउंड पेपर फ़ॉर ई.एफ.ए. ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, पृ.सं. 34–38 से अपनाया गया।

सामाजिक, आर्थिक असमानताओं और शिक्षा प्रणाली के व्यापक ढाँचे के भीतर शिक्षा में लिंग असमानताओं को देखने की आवश्यकता है। सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और लिंग संबंधों की परस्पर क्रिया या तो स्कूली शिक्षा के माध्यम से लड़कियों की क्षमता को प्रोत्साहित या बाधित करती है, जबकि आर्थिक विषमताएँ और सामाजिक असमानताएँ अभी भी लड़कियों को पुरुष अधीनता के खिलाफ स्वतंत्र होने से रोकती हैं (सुदर्शन, 2016)।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त लिंग असमानता लंबे समय तक चलने वाले दो कारकों के कारण विरासत में मिली है; पहला, सामाजिक, आर्थिक और स्थानीय प्रतिकूल परिस्थिति है; और दूसरा, मौजूदा स्कूली शिक्षा प्रणाली है। लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले लक्षित हस्तक्षेप अकसर समानता के लिए एक नियम और शर्त के समान होते हैं। लेकिन श्रम क्षेत्र में लिंग विभाजन के कारण समाज में महिलाओं को कम वेतनमान दिया जाता है। नतीजतन, शिक्षा और काम में महिलाओं की भागीदारी उन्हें एक कमाऊ और आत्मनिर्भर के रूप में स्वीकार करने के खिलाफ वैचारिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है (बंद्योपाध्याय, 2008)। शिक्षा में एक मुद्दे के रूप में वर्तमान लिंग और सामाजिक समानता के लिए एक ऐसे ढाँचे की आवश्यकता है जो विषम लिंग वास्तविकताओं और उसके कई नुकसानों को पकड़ सके। तालिका 3 प्रचलित स्कूली शिक्षा प्रणाली और सामाजिक, आर्थिक कारकों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाती है।

not to be republished © NCERT

तालिका 3— भारत में लड़कियों की शैक्षिक भागीदारी को बयान करती विषम लिंग वास्तविकताएँ

प्रचलित स्कूल प्रणाली ▶ सामाजिक आर्थिक कारक ▼		पहुँच	शिक्षक और शिक्षण	अधिगम	जाँच और पर्यवेक्षण	जवाबदेही	परिवर्तन का अगला स्तर
गरीबी	घर गरीबी में गरीबी रेखा से ऊपर	स्कूल में प्रवेश नहीं या स्कूल पहुँच के भीतर नहीं (चलना या बस)	शिक्षक का रवैया/ लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह	घर में लड़कियों के लिए कोई समर्थन न होना, ट्यूशन के लिए पैसे न होना	बालिका श्रम/ कार्य की घटनाओं का शिक्षा पर निहितार्थ का संबंध न समझना	समुदाय/ विद्यालय में महिलाओं/ लड़कियों की कोई सुनवाई नहीं है	स्कूल लड़कियों के पहुँच के बाहर होने की वजह से उनकी शिक्षा को प्रभावित करता है।
स्थानीय	ग्रामीण शहरी जनजातीय	अनियमित अनुपस्थित शिक्षक	उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात कम शिक्षण समय की ओर ले जाता है।	कभी स्कूल नहीं गए	ग्राम स्तरीय समितियों का उतना प्रभावी न होना	उच्च प्राथमिक/ उच्च विद्यालयों का अभाव	हाई स्कूल में कोई लड़की न होना
समुदाय	अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति मुसलमान अन्य	सामाजिक दूरी से औपचारिक पहुँच में रूकावट आती है।	आदिवासी भाषा से अपरिचित शिक्षक संस्कृति/ जाति/ वर्ग पूर्वाग्रह	सामाजिक/ सांस्कृतिक/ भाषा बाधाएँ	प्राथमिकता न होना	गाँव या स्कूल में कोई सुनवाई न होना	हाई स्कूल में कोई लड़की न होना
हिंसा	घर स्कूल समाज	डर और आत्म छवि के कारण स्कूल तक न पहुँच पाना	शारीरिक दंड मौखिक दुरुपयोग	डर और असुरक्षा के कारण कम पढ़ाई	निगरानी प्रोटोकॉल का हिस्सा न होना	बच्चों या माता-पिता के प्रति जवाबदेह न होना	परिणामस्वरूप ड्रॉपआउट होना

© NCERT not to be republished

लिंग से संबंधित/ रवैया	घर का बड़ा बच्चा होना बालिका	काम का बोझ	शिक्षक का रवैया	घर में पढ़ने का समय न होना	लिंग के साथ-साथ सामाजिक समूह द्वारा अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से कोई विशिष्ट निगरानी न होना	लिंग-संबंधी मुद्दों का शामिल न होना	परिणामस्वरूप ड्रॉपआउट होना
स्वास्थ्य	एचआईवी/ एड्स जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ	स्कूल/समुदाय में पक्षपात	शिक्षक का रवैया	कोई समर्थन न होना	विशेष रूप से निगरानी न होना	मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल का हिस्सा न होना	ड्रॉपआउट होना

स्रोत— (रामचंद्रन वी., 2009), टुवार्ड्स जेंडर इक्वैलिटी इन एजुकेशन, नीपा- एनयूईपीए, पृ. सं. 19–21

विभिन्न शोध बताते हैं कि आर्थिक और सामाजिक विशेषाधिकारों ने जाति, जातीयता और धर्म जैसे सामाजिक असमानता के अन्य रूपों के साथ जुड़े लिंग प्रतिरूप को प्रभावित किया है, जिससे स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में तेज़ी से वृद्धि को वैकल्पिक और पारंपरिक स्कूलों के प्रकार, जैसे ब्रिज कोर्स और आवासीय स्कूलों पर नीति के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो स्कूल से बाहर की लड़कियों को औपचारिक स्कूलों में एकीकृत करने की दिशा में आवश्यक उपाय हैं। लड़कियों को स्थान, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक प्रथाओं के संबंध में कई प्रकार की हानियों का अनुभव होता है (रामचंद्रन और चटर्जी, इवैल्यूएशन ऑफ़ जेंडर एंड इक्विटी इश्यूज़)। लड़कियों और लड़कों की शिक्षा में तालमेल बिठाने के लिए सुनिश्चित हस्तक्षेप और लड़कियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार लिंग संवेदनशील नीतियों का निर्माण करना चाहिए (आर.एस. त्यागी, 2010)।

प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक स्कूल से घर की दूरी या अन्य शब्दों में अभिगम्यता है। कोई स्कूल जो बहुत दूर हो और नियमित रूप से काम नहीं करता हो, वह छात्रों का नामांकन बनाए रखने में विफल रहता है। कई प्रणालीगत और संरचनात्मक कमियाँ स्कूलों के कामकाज की विशेषता हैं। स्कूल के नियमों और विनियमों के कारण भी स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में कमी होती है। अत्यधिक गरीबी की परिस्थिति में लड़कियों के लिए शिक्षा से अधिक प्राथमिकता रोज़मर्रा के अस्तित्व के संघर्ष को दी जाती है। इसके अलावा स्कूलों में प्रयोग करने योग्य शौचालय की व्यवस्था में सुधार की भी ज़रूरत है। भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ और भी निम्नलिखित कारण है—

- कुपोषण तथा भरपेट खाना न मिलना

© NCERT not to be republished

- नाबालिग उम्र में यौन उत्पीड़न
- माता-पिता की खराब आर्थिक स्थिति
- कई तरह की सामाजिक पाबंदियाँ
- घर में माता-पिता या सास-ससुर का कहना मानने का दबाव
- उच्च शिक्षा हासिल करने की अनुमति न होना
- बचपन में संक्रमण रोग से लड़ने की प्रयाप्त शक्ति की कमी

तालिका 4 में दर्शाए असर (2018) के आँकड़ों के अनुसार शिक्षा में सुविधाओं के लिए अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

क्योंकि लड़कियों के लिए श्रम बाज़ार में कमाई का प्रतिशत कम रहता है। आमतौर पर यह धारणा है कि लड़कियों की शादी हो जाने के कारण, लड़कियों की शिक्षा से परिवार को लाभ नहीं मिलता है।

लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ और समस्याएँ

इस शोध में पाया गया कि माता-पिता द्वारा यह महसूस किया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्न अवरोध हैं—

तालिका 4— समय के साथ रुझान (2010–2018)–लड़कियों के लिए शौचालय सुविधाओं वाले स्कूलों का प्रतिशत

शौचालयों के प्रावधान की स्थिति	2010	2014	2016	2018
बालिका शौचालय के लिए अलग से प्रावधान न होना	31.2%	18.8%	12.4%	11.5%
अलग प्रावधान लेकिन बंद होना	18.7%	12.9%	11.6%	10.5%
अलग प्रावधान, खुला होना लेकिन प्रयोग करने योग्य न होना	17.2%	12.6%	14.1%	11.7%
अलग प्रावधान, खुला और प्रयोग करने योग्य होना	32.9%	55.7%	61.9%	66.4%
कुल	100%	100%	100%	100%

स्रोत— एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (रूरल)— असर (2018)

लिंग संवेदीकरण एक ध्यान देने योग्य मुद्दा है। विभिन्न शोध अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि लड़कियों के बजाय लड़कों की शिक्षा पर घरेलू निवेश की प्रचलित प्रवृत्ति है। भारत में लड़कों की निजी शिक्षा के पक्ष में ही ज़्यादातर निवेश निर्णय लिए जाते हैं (आजम, 2016; साहू, 2017)। यह जानते हुए की निजी ट्यूशन पर खर्च प्रकृति में विवेकाधीन है, यह उम्मीद की जा सकती है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की निजी ट्यूशन में भागीदारी कम होगी

(क) 52 प्रतिशत माता-पिता का मानना है कि छात्राएँ उन स्कूलों में सहज महसूस नहीं करती हैं, जहाँ अपनी समस्याएँ व्यक्त करने के लिए महिला शिक्षक नहीं हैं। स्कूल परिसर में महिला शिक्षकों की उपस्थिति से लड़कियाँ अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पुरुष शिक्षकों के सामने कुछ मुद्दों को व्यक्त करने के लिए छात्राओं में झिझक की भावना है।

© NCERT not to be republished

शोध भी ऐसा ही कुछ दर्शाते हैं— महिला शिक्षकों की कमी भी स्कूल में लड़कियों की भागीदारी को प्रभावित करती है (जांद्याला एवं रामचंद्रन, 2015)। स्वीकृत पदों की संख्या और उपलब्ध शिक्षकों के बीच का भारी अंतर स्कूलों में महिला कर्मचारियों की भर्ती को प्रभावित करता है। हालाँकि महिला शिक्षकों और स्कूलों में लड़कियों के नामांकन के बीच का संबंध (कारण और प्रभाव से कई अधिक है), ऐसे कई कारक हैं जो लड़कियों को स्कूलों में जाने से रोकते हैं। यह स्पष्ट है कि महिला शिक्षक की अनुपस्थिति लड़कियों को नियमित स्कूलों में जाने से रोकती है। स्कूलों में विशेष रूप से पारंपरिक और रूढ़िवादी परिस्थिति में महिला कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण छात्राओं को स्कूल भेजने के प्रति माता-पिता में बेचैनी की भावना रहती है।

(ख) 54 प्रतिशत माता-पिता का मानना है कि शिक्षण गुणवत्ता खराब है।

(ग) 79 प्रतिशत माता-पिता का मानना है कि छात्राओं में गणित और अंग्रेज़ी के प्रति एक डर देखा जाता है, जो इन छात्रों को स्कूल से बाहर करने में योगदान दे सकता है।

आश्चर्यजनक बात यह है कि दिल्ली जैसे मेट्रो राज्य में होते हुए भी अभिभावकों में से 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा के बाद अपनी बेटियों की शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए अनिच्छा व्यक्त की है। शिक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से निम्नलिखित प्रमुख बाधाओं की पहचान की गई है जो स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर छात्राओं के नामांकन और उन्हें बनाए रखने पर प्रभाव डालती हैं।

(क) बेटियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता की अनिच्छा (67 प्रतिशत);

(ख) परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा होने से लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता की अनिच्छा (64 प्रतिशत);

(ग) रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएँ जो केवल लड़कों के लिए शिक्षा को अधिक पसंद करती हैं (61 प्रतिशत);

(घ) स्कूल में लड़कियों की अनियमित उपस्थिति और लंबे समय तक अनुपस्थिति (59%);

(ङ) लड़कियाँ दैनिक घरेलू गतिविधियों, भाई-बहन की देखभाल, काम, कटाई आदि में लगी हुई हैं (59 प्रतिशत);

(च) घर से स्कूल तक की दूरी और अनुचित आवागमन, क्योंकि अधिकतम लड़कियाँ पैदल आवागमन करती हैं (58 प्रतिशत);

(छ) लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए परिवार में आत्मविश्वास की कमी (57 प्रतिशत);

(ज) घर में पढ़ाई का माहौल न होना (55 प्रतिशत);

(झ) शिक्षकों से शैक्षणिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने में माता-पिता की झिझक (54 प्रतिशत);

(ञ) पढ़ाए जाने वाले विषयों में रुचि और समझ की कमी (53 प्रतिशत);

अभिभावक उत्तरदाताओं ने लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए।

(क) प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त महिला शिक्षिका उपलब्ध कराई जाए (53 प्रतिशत);

© NCERT not to be republished

(ख) हर स्कूल में गणित और अंग्रेज़ी के विषय के शिक्षकों को लगाया जाना चाहिए (61 प्रतिशत);

(ग) स्कूल से आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा द्वारा बच्चों की माताओं को सहायता दी जा सकती है (58 प्रतिशत);

पाठ्यपुस्तकों में लड़कियों का प्रतिनिधित्व

एक दृष्टिकोण यह है कि लड़कों और लड़कियों को कम उम्र से ही लिंग समानता के बारे में संवेदनशील बनना सिखाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में उपयुक्त शिक्षक प्रशिक्षण के साथ लिंग अध्ययन शामिल होना चाहिए। लिंग समानता को बढ़ावा देने वाले अनुभवों को साझा करने के लिए पाठ्यक्रम नियोजित किया जा सकता है। कक्षा पाँचवी के लिए वर्तमान ईवीएस पाठ्यपुस्तकों और कार्यपत्रकों का विश्लेषण शोधकर्ताओं के द्वारा उपरोक्त संदर्भ की पृष्ठभूमि में किया गया था।

प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यसामग्री का विश्लेषण किया गया। उदहारणस्वरूप पाँचवी कक्षा की रा.शै.अ.प्र.प. की पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक की समीक्षा की गयी और यह पाया गया कि पुस्तकों में महिलाएँ/लड़कियाँ अपनी उपस्थिति और पदों से रूढ़िवादिता को चुनौती देती हैं। केवल महिलाएँ/लड़कियाँ रसोई में काम करती हैं इस लिंग रूढ़िवादिता के विपरीत, उदाहरण के तौर पर उस पाठ में दृश्य संबोधित किया जाता है। जिसमें आयशा के पिता चाय बनाते हैं और उसकी माँ को दवाएँ देते हैं (पृष्ठ 63)। इसके अलावा एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित कक्षा पाँचवी के लिए वर्तमान ईवीएस पाठ्यपुस्तक में चार महिलाओं का ज़िक्र है, जिनके केंद्रीय चरित्र की कहानी/लेख पर चार अध्याय बनाए गए हैं। ये हैं— संगीता अरोड़ा (एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जो पर्वतारोहण शिविर में जाती है, पृष्ठ 76) पुस्तक में उल्लेख है कि जिस डायरी के पन्ने पर पाठ आधारित है, वह संगीता अरोड़ा के वास्तविक अनुभव हैं। वह केंद्रीय विद्यालय, शालीमार बाग, दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस ईवीएस पाठ्यपुस्तक लेखन टीम की सदस्य भी हैं। बछेंद्री पाल की कहानी और 12 साल की छोटी उम्र में उनके पर्वतारोहण उद्यम का भी उल्लेख किया गया है। जस्मा (गुजरात की एक ग्यारह वर्षीय लड़की जो भूकंप के दौरान अपने अनुभव का वर्णन करती है, पृष्ठ 131); अफसाना (झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली एक तेरह वर्षीय लड़की) जो बास्केटबॉल खेलने के लिए रूढ़ियों को चुनौती देती है और अब उसकी अपनी लड़कियों की टीम है, पृष्ठ 154); सूर्यमणि (एक आदिवासी लड़की) जिसका अब एक संगठन है जो अपने समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है, पृष्ठ 182)।

इसी बीच कुछ विचारोत्तेजक प्रश्न भी हैं, जैसे— क्या लड़कों और लड़कियों के खेल अलग-अलग होने चाहिए? तुम क्या सोचते हो? (पृष्ठ 158) यदि लड़कियों को खेल खेलने, पढ़ने या अपनी पसंद का कोई अन्य काम करने की अनुमति न दी जाए तो क्या होगा? यदि आपको किसी खेल या नाटक में भाग लेने की अनुमति न दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपने किसी महिला खिलाड़ी के बारे में सुना है? उनके नाम और उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल। आपने खेलों के अलावा और किन क्षेत्रों में महिलाओं को मान्यता मिलने के बारे में सुना है? क्या ये महिलाएँ

© NCERT not to be republished

पुरुषों से कम जानी जाती हैं? क्यों? अगर लड़कियों को खेल, नाटक या नृत्य में भाग लेने का मौका ही नहीं मिलता है तो आप दुनिया को कैसे देखेंगे? अगर लड़कों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप किसी ऐसी महिला या लड़की के बारे में जानते हैं जिसके जैसे आप बड़े होकर बनना चाहेंगी? (एक फिल्म अभिनेता या एक मॉडल के अलावा अन्य नामों के बारे में सोचें)। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है, "अफसाना दीवार के ऊपर से कूद गई है। उसकी माँ ने उसके लिए जो जेंडर की दीवार लगाई थी।" सोचो और अपने शब्दों में लिखो कि यह दीवार क्या थी? 'लिंग पूर्वाग्रह' से आप क्या समझते हैं? "सुनीता इन स्पेस" नामक पाठ में सुनीता विलियम्स की कहानी भी है जिसमें वह बच्चों को बताने के लिए अपना उदाहरण भी देती हैं कि, 'अगर आपको कुछ चाहिए, लेकिन आपको कुछ और मिलता है, तो हार मत मानो। अपना सर्वश्रेष्ठ करें, और चीज़ें काम करेंगी'। पाठ्यचर्या यह इंगित करती है कि लड़कियों/महिलाओं का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। हालाँकि, बाज़ार खंडित है, यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों की आकांक्षाएँ लड़कियों की शिक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं?

निष्कर्ष

बालिकाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील प्रावधानों के संदर्भ में असमानताएँ स्कूल और कक्षा की स्थितियों में देखी जा सकती हैं। असमान सामाजिक, आर्थिक और शक्ति समीकरण बच्चों की बुनियादी शिक्षा तक पहुँचने और सीखने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को गहराई से प्रभावित करते हैं। बालिकाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील प्रावधानों के संदर्भ में असमानताएँ स्कूल और कक्षा की स्थितियों में देखी जा सकती हैं। भारतीय समाज को समझते हुए बालिकाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक परिदृश्य में सुधार करना चाहिए। भारत के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बालिकाओं को बालकों के बराबर शिक्षा हासिल करने के लिए की स्कूल में शिक्षा की उचित सुविधाएँ दी जानी चाहिए। स्कूलों को बालिकाओं की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नीतिगत व्यवस्था होनी चाहिए। बालिकाओं की समानता को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान में लिंग के प्रति संवेदनशील हस्तक्षेपों का समर्थन करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्या के संदर्भ में सुधार होने के बावजूद स्कूल का वातावरण और कक्षाएँ लिंग के पुनरुत्पादन में योगदान देना जारी रखती हैं। अंत में, समानता की पहचान करने की दिशा में एक अभिन्न कदम है, प्रशासकों, स्कूल प्रबंधन प्रणाली और शिक्षकों के बीच शिक्षा प्रणाली में लिंग समानता की भावना को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है क्योंकि लिंग समानता पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित किए बिना स्कूल की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है। बालिकाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील प्रावधानों के संदर्भ में असमानताएँ स्कूल और कक्षा की स्थितियों में देखी जा सकती हैं।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

असर. 2018. *एनुअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (रूरल) प्रोविशनल*. प्रथम फाउंडेशन, नयी दिल्ली.

आज़म, एम. 2016. प्राइवेट ट्यूटरिंग : एविडेंस फ्रॉम इंडिया. *रिव्यु ऑफ़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स*. 20(4). पृ.सं. 739–761.

जांद्याला, के. और वी. रामचंद्रन. 2015. व्हाई वीमेन टीचर्स मैटर इन सेकेंडरी एजुकेशन. *इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली*. 32(1). पृ.सं. 48–54.

डोनर, एच. 2016. *डोमेस्टिक गोड्डेस्सेस : मैटरनिटी*, ग्लोबलाइजेशन एंड मिडिल-क्लास आइडेंटिटी इन कंटेम्परारी इंडिया. रूटलेज, लंदन.

त्यागी, आर. एस. 2010. जेंडर इनक्वॉलिटीज़ इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. *नयी फ्रंटियर्स इन एजुकेशन*. 43(3). पृ.सं. 316–17.

नीपा. 2014. *एजुकेशन फ़ॉर आल : टुवर्ड्स इक्विटी एंड क्वालिटी*. नयी दिल्ली.

बंद्योपाध्याय, एम. 2008. *जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन : अ रिव्यु ऑफ़ ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स*, प्रोजेक्ट रिपोर्ट. कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एजुकेशनल एक्सेस, ट्रांसिशंस एंड इक्विट : क्रिएट, नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2006. *सर्व शिक्षा अभियान एंड गर्ल एजुकेशन फ़ॉर इलेवेंथ प्लान*. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नयी दिल्ली.

यूडाइज+. 2019–2020. शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस, नयी दिल्ली.

रामचंद्रन. वी. 2003. *बैकग्राउंड पेपर फ़ॉर 2004*. ई.एफ़.ए. ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट. नीपा, नयी दिल्ली.

रामचंद्रन, वी. 2009. *टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन*. नीपा, नयी दिल्ली.

रामचंद्रन, वी. और पी.जी. चटर्जी. 2014. *इवैल्यूएशन ऑफ़ जेंडर एंड इक्विटी इश्यूज अंडर सर्व शिक्षा अभियान, इंडियन जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज*. 21(2). पृ.सं. 157–178.

रा.शै.अ.प्र.प. 2021. *एनवायर्नमेंटल साइंस : लुकिंग अराउंड*, (कक्षा पाँचवी की पुस्तक). रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

साहू, एस. 2017. इंट्रा-हाउसहोल्ड जेंडर डिस्पैरिटी इन स्कूल चॉइस : एविडेंस फ्रॉम प्राइवेट स्कूलिंग इन इंडिया, *जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज*. 53(10). पृ.सं. 1714–1730.

सुदर्शन, आर. एम. 2016. *जेंडर इक्वलिटी आउटकम्स ऑफ़ दी : अ केस स्टडी*. नीपा, नयी दिल्ली.

not to be republished © NCERT